न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2023/30

1. **अब्दुल** अजीज पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान **निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास** जिला कोटा(राज0)।
2. **मोहम्मद** आरिफ पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान **निवासी ग्राम कनवास तहसील** कनवास जिला कोटा(राज0)।
3. **शबनम** बानो पुत्री अब्दुल हमीद पत्नी इदरिस **भाई जाति मुसलमान निवासी ग्राम** कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. **अब्दुल** मुजीब पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान **निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा**(राज.)।
2. **अब्दुल** जमील पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान **निवासी कनवास तहसील कनवास** जिला कोटा(राज.)।
3. **अब्दुल** खलील पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान **निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा**(राज.)।
4. **मोहम्मद** मेहराज पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान **निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा**(राज.)।
5. **अतिका** बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी **अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी ग्राम** मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज.)।
6. **फरीदा** बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी **इस्लामतुल्ला खान जाति मुसलमान निवासी** छावनी कोटा(राज.)।
7. **आरीफा** बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी **मुनताल बुकहक जाति मुसलमान निवासी** पाटनपोल कोटा(राज.)।
8. **आमना** खातून पत्नी अब्दुल हलीम जाति मुसलमान **निवासी कनवास तहसील कनवास** जिला कोटा(राज.)।(नाम तर्क किया गया)
9. **रोशन** आरा पुत्री अब्दुल हमीद पत्नी **अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी ग्राम** कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
10. **धनपाल** पुत्र भवानीशंकर जाति धाकड़ **निवासी ग्राम बाछी हेडा तहसील कनवास जिला** कोटा(राज.)।

11. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस—(1). सम्पूर्णानन्द राय, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
(2). रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से।
(3). उत्पल शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 से 8 की ओर से।

अपील संख्या– 2023/31

1. अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।
2. मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।
3. शबनम बानो पुत्री अब्दुल हमीद पत्नी इदरिस भाई जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।

— अपीलांटगण

बनाम

1. धनपाल पुत्र भवानीशंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम बाछी हेडा तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
2. अब्दुल मुजीब पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
3. अब्दुल जमील पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
4. अब्दुल खलील पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
5. मोहम्मद मेहराज पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
6. अतिका बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज.)।
7. फरीदा बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी इस्लामतुल्ला खान जाति मुसलमान निवासी छावनी कोटा(राज.)।
8. आरीफा बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी मुनताल बुकहक जाति मुसलमान निवासी पाटनपोल कोटा(राज.)।
9. आमना खातून पत्नी अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।(नाम तर्क किया गया)

10. रोशन आरा पुत्री अब्दुल हमीद पत्नी अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
11. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।

—रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस—(1). सम्पूर्णानन्द राय, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
(2). रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
(3). उत्पल शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 3 से 9 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 14.08.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त दोनो अपीलें अपील संख्या 2023/30 व अपील संख्या 2023/31 अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास के प्रकरण संख्या 26/2017 व 44/2017 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा दोनो अपीलों समान पक्षकार होने से दोनो अपीलों में एक—साथ बहस सुनी जाकर उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग—अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 8 ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कनवास तहसील कनवास में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2069—2072 खाता संख्या 14 में निम्न खसरा नम्बर 1359 रकबा 3.51 हैक्टेयरे, खसरा नम्बर 1679 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1681 रकबा 1.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1900 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1902 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1904 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1906 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1907 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1908 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1909 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1910 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1995 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2240 रकबा 0.96 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 12.33 हैक्टेयर स्थित होकर दर्ज रिकॉर्ड है। वादपत्र में सजरा परिवार अंकित किया। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित आराजी अब्दुल हकीम, अब्दुल हलीम, अब्दुल हमीद के संयुक्त खाते में दर्ज थी। अब्दुल हमीद की मृत्यु पर उसके सजरे मुताबिक तथा अब्दुल हलीम की मृत्यु पर उसके सजरे मुताबिक नाम दर्ज हुआ जो इन्तकाल नम्बर 791 व 882 से दर्ज हुआ। अब्दुल हकीम का भी लाऔलाद देहान्त हो जाने से उसका नाम खाते से खारिज होना चाहिए तथा सम्पूर्ण आराजी में सजरे मुताबिक मृतक अब्दुल हलीम के

वारिसान(समस्त वादीगण) 1/2 हिस्से के हकदार है तथा मृतक अब्दुल हमीद के वारिसान 1/2 हिस्से के हकदार है। मृतक अब्दुल हमीद के वारिसान में से उसकी पुत्रियां तबस्सुमआरा व तरन्नुमआरा व अब्दुल हमीद के मृतक पुत्र की पुत्री हीना परवीन व मृतक पुत्र की बेवा शाहीन बानो द्वार उनका हिस्सा मोहम्मद आरीफ के हक में रिलीज कर देने से तबस्सुमआरा व तरन्नुमआरा, शाहीन बानो, हीना परवीन का हिस्सा मोहम्मद आरीफ के दर्ज हो गया और मोहम्मद आरीफ, अब्दुल अजीज, रोशन आरा, शबनम बानो चारों 1/2 हिस्से के हकदार हो गये तथा मोहम्मद आरीफ द्वारा अपने हिस्से की आराजी में से कुछ आराजी धनपाल प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय के साथ धनपाल भी 1/2 में सहखातेदार हो गया। इस प्रकार वादपत्र के पैरा नम्बर 1 में वर्णित आराजी में समस्त वादीगण 1/2 हिस्से के व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से के खातेदार हकदार हो गये है। कानूनन उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित भूमि में प्रत्येक खसरा में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है तथा जब तक आराजी का रिकॉर्डेड विभाजन होकर खाता पृथक–पृथक नहीं हो जाता है, किसी भी सहखातेदार द्वारा उसका हिस्सा विक्रय करके किसी भी खसरा नम्बर के सम्पूर्ण रकबा पर केता को कब्जा नहीं दिया जा सकता है। तथा केता एवं विकेता द्वारा ऐसा करना अवैध व विधि विरूद्ध है तथा बिना विभाजन हुए केता द्वारा भी किसी भी खसरा नम्बर के विक्रय किये गये हिस्से से अधिक हिस्से या सम्पूर्ण रकबा पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। केता की हैसियत एक अनजान अतिचारी की तरह होती है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित आराजीयात में खसरा नम्बर 1900, 1902, 1904, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1995, 2240 की आराजी कनवास–सांगोद रोड पर स्थित है। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हिस्से की आराजी प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दी जिसका नामान्तरकरण संख्या 1035 दिनांक 20.04.2017 दर्ज हो गया। अब प्रतिवादी संख्या 5 उक्त विक्रय की आड में रोड के लगवा सम्पूर्ण आराजी को अपने कब्जे में लेने की भरपूर कोशिश कर रहा है। जबकि रोड के लगवा भूमि पर बिना विभाजन कराये न तो केता कब्जा कर सकता है न विकेता कब्जा करवा सकता है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 5 का उक्त कृत्य अवैध व वादीगण के हितों के विरूद्ध है। अब बची हुई शेष आराजी भी प्रतिवादीगण बेचने पर उतारू हो रहे है। प्रतिवादीगणों के उक्त कृत्य से वादीगण के हितों पर कुठाराघात हो रहा है इसलिए वादीगणके लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात में अपना 1/2 हक व हिस्सा घोषित करावें तथा अपने हिस्से की आराजी का पृथक खाता दर्ज करावे व आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन करावे तथा अवैध रूप से किये जा रहे विक्रय को रोकने के लिए व जबरन अतिचार करने से रोकने के लिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा भी प्राप्त करें। अन्त में उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित आराजीयात में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने व तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का निवेदन किया। साथ ही उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित भूमि का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार विभाजन किया जाकर वादीगण के 1/2 हिस्से की आराजी का पृथक खाता व लगान कायम किये जाने तथा वादीगण के हिस्से में विभाजन से प्राप्त भूमि का

कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया। साथ ही यह भी निवेदन किया कि उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित भूमि के किसी भी भू–भाग को प्रतिवादीगण रहन, बेय व खुर्द बुर्द नहीं करे तथा वादीगण के 1/2 हिस्से में काश्त करने में मदाखलत मजाहमत नहीं करे। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य वाद वादी धनपाल(अपील संख्या 2023/30 के रेस्पोडेन्ट संख्या 10/ अपील संख्या 2023/31 के रेस्पोडेन्ट संख्या 1) की ओर से अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया किग्राम कनवास तहसील कनवास में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 14 में निम्न खसरा नम्बर 1359 रकबा 3.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1679 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1681 रकबा 1.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1900 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1902 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1904 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1906 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1907 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1908 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1909 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1910 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1995 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2240 रकबा 0.96 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 12.33 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त रूप से दर्ज है जबकि मौके पर आपसी सहमति से वादी खसरा नम्बर 1909 रकबा 0.65 में से 0.24 हैक्टेयर पश्चिमी, खसरा नम्बर 1910 रकबा 1.06 में से 0.24 हैक्टेयर पश्चिमी कुल किता 2 की कुल 0.48 हैक्टेयर आराजी को काश्त करता चला आ रहा है किन्तु वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादियों के नाम संयुक्त रूप से दर्ज होने से वादी को अपने हिस्से की आराजी में विकास कार्य करवाने में परेशानी होती है। उक्त संबंध में वादी प्रतिवादी सहखातेदारों से गत सप्ताह तहसील कार्यालय में चलकर आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाने को कहा तो उन्होने मना कर दिया जिसके कारण माननीय न्यायालय में विभाजन हेतु वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया । अन्त में ग्राम कनवास तहसील कनवास की खसरा नम्बर 1909 रकबा 0.65 में से 0.24 हैक्टेयर पश्चिमी, खसरा नम्बर 1910 रकबा 1.06 में से 0.24 हैक्टेयर पश्चिमी कुल किता 2 की कुल 0.48 हैक्टेयर आराजी को वादी के नाम पृथक खाते मे दर्ज किये जाने तथा लगान राज भी पृथक से अंकित किये जाने का निवेदन किया।

4. उक्त आशय के दोनो वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किये जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी धनपाल की ओर से प्रस्तुत वाद के प्रकरण संख्या 44/2017 कायम किये तथा वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 8 की ओर से प्रस्तुत वाद के प्रकरण संख्या 26/2017 कायम किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 44/2017 को वाद संख्या 26/2017 के साथ समेंकित किया गया तथा वाद का निर्णय किया गया। दिनांक 19.01.2023 को वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र स्वीकार कर वाद पत्र के वर्णित सम्पूर्ण विवादित आराजीयात आराजी ग्राम कनवास के खसरा ने 1350 की रचना 3.51 खसरा न

1679 की रकबा 1.73 खसरा न. 1681 की 1.72 खसरा ने 1900 की 0.49 है खसरा न. 1902 की रकबा 0.71 है खसरा न. 1904 की 0.35 है 1906 की 0.87 व खसरा न 1907 की 0.14 व 1908 की 0.07 है०, खसरा नं. 1995 की 0.04 है खसरा न. 2240 की 0.96 है के 1/2 हिस्से का वादीगण को एवं 3/14 हिस्से का प्रतिवादी के 1, 3, 4 को 4/14 हिस्से का प्रतिवादी के 2 को खातेदार घोषित किया जाने तथा खसरा नं. 1909 की 0.65 है. खसरा नं 1910 की 1.09 है के 1/2 हिस्से का वादीगण को 3/14 हिस्से का प्रतिवादी के 1, 3, 4 को व 4/14 हिस्से का प्रतिवादी धनपाल को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की । साथ ही खसरा नं 1909 की 0.65 में से 0.24 हैक्टर पश्चिमी, खसरा न. 1910 की 1.09 में से से 0.24 हैक्टर पश्चिमी कुल किता 2 की कुल 0.48 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या 5 धनपाल को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की निर्णय व डिकी पारित की। साथ ही खसरा नं 1909 की 0.65 में से 0.24 हेक्टर पश्चिमी खसरा नं. 1910 की 1.09 में से से 0.24 हैक्टर पश्चिमी कुल किता 2 की कुल 0.48 हेक्टर आराजी को प्रतिवादी संख्या 5 धनपाल के नाम पृथक खाता व लगान कायम करने हेतु तथा शेष खसरा न 1359 की रकबा 351 खसरा न 1679 की रकबा 173 खत्तरा ने 1681 की 1.72 खसरा न 1900 की 0.49 है खसरा न 1902 की रकबा 0.71 है खसरा न 1904 की 0.35 है 1906 की 0.87 व खसरा न 1907 की 0.14 व 1908 की 0.07 है, खसरा नं. 1995 की 0.04 है 2240 की 0.96 है. में 1/2 हिस्से का वादीगण एवं 3/ 14 हिस्से का प्रतिवादी के 1, 3, 4 को व 4 / 14 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 को हक अधिकारी मानते हुये एवं खसरा नं 1909 की 0.65 में से 0.41 है पूर्वी खसरा नं 1910 की 1.09 में से 0.85 है. पूर्वी कुल 2 किता की 126 है, में 87/126 हिस्सा का वादीगण को एवं 39/126 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 को हक अधिकारी मानते हुये अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी आराजी का खाता व लगान पृथक–पृथक दर्ज करने हेतु तहसीलदार कनवास विभाजन प्रस्ताव तैयार कर 7 दिवस में नियमानुसार प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया।

5. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 19.01.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4 की ओर से दोनों अपीलें न्यायालय हाजा प्रस्तुत की गई। दोनो अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 से 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

6. अपील के विचाराधीन रहते हुए अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना–पत्र की एक प्रति अपीलांट के अधिवक्ता को दिलाई गई। अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में

निवेदन किया कि हस्तगत अपील मे प्रार्थी दस्तावेज पेश करना चाहता है। प्रार्थना-पत्र के साथ जो दस्तावेज प्रार्थी ने पेश किये है, वह असल इकरारनामा है। उक्त दस्तावेजों की फोटोप्रतियां अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। अतः उक्त दस्तावेज को अपील के समुचित निर्णय के लिये रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अन्त मे प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अपील संख्या 2023/30 के रेस्पोंडेन्ट संख्या 10 व अपील संख्या 2023/31 के रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने का विरोध किया।

7. हमने प्रार्थना-पत्र आदेश 41 नियम 27 जा.दी. व उसके के साथ संलग्न दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज असल इकरारनामा है। पूर्व में इस दस्तावेज की फोटोप्रति अधीनस्थ न्यायालय में भी प्रस्तुत की गई है। उक्त दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत होना प्रतीत होता है तथा उक्त दस्तावेज अपील के सम्यक् निस्तारण मे सहायक सिद्ध होने से न्यायहित मे रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है, तथा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

8. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे दोनो अपीलों के अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध एवं न्याय पारित सिद्धान्त के विपरित तथा त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो साक्ष्यो एवं दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किये बिना उक्त निर्णय पारित कर दिया गया है। जो न्याय पारित सिद्धान्तो के विपरित एवं त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि अपीलान्टगण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, उसमें ग्राम कनवास में ही उक्त कृषि भूमियों के साथ साथ अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टगण के संयुक्त नाम से ख.नं. 1359 रकबा 3.51 हेक्टर, खनं. 1679 रकबा 1.73 हेक्टर ख.नं. 1995 रकबा 0.04 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है। जिसमें से राजस्व रिकार्ड अनुसार खनं. 1907 की भूमि में भी वादी का नाम शामलाती खाते में दर्ज है। विवादित कृषि भूमि का मोके पर विभाजन कभी भी नही हुआ वर्तमान में भी उक्त भूमि अपीलान्ट क्रम -1 व 2 के संयुक्त रूप से आधिपत्य में है तथा अपीलान्ट क्रम -1 व 2 ने जिसके समर्थन में गवाहों के बयान करवाये और दस्तावेज भी पेश किये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए उक्त आदेश पारित कर दिया गया है जो न्याय पारित सिद्धातों के विपरित व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करते समय इस तथ्ये पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अपीलान्ट क्रम 2 से दिनांक 19.07.2016 को ग्राम कनवास जिला कोटा में स्थित आराजी खाता संख्या नई 14 की खसरा न 1900 की रकबा 0.49 हेक्टर, खनं. 1902 की रकबा 071 हेक्टर

071 हेक्टर, ख.नं. 1906 की रकबा 0.87 हेक्टर, नं 1907 की रकबा 0.14 हेक्टर, खनं 1909 की रकबा 0.65 हेक्टर खन. 1910 की रकबा 1.09 हेक्टर कुल किता 6 की कुल रकबा 395 हेक्टर मे अपीलान्ट क्रम–2 का निहित विक्रेता का 1/ 21 हिस्सा अर्थात् 15/315 हिस्से में से 13/315 हिस्सा आराजी को रेस्पोडेन्ट क्रम–1 को बेचान किया गया था। उक्त बेचाननामें में बेची गई आराजी की चतुर्थ सीमाए भी अंकित नहीं है तथा विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल खोल कर रेस्पोडेन्ट क्रम–1 का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज किया। जिसमें भी सभी खसरा नम्बरो में शामलाती हिस्सा है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम –1 से मिलीभगत करते हुए खनं 1909 रकबा 0.85 हेक्टर में से 0.24 हेक्टर पश्चिम, खनं 1910 रकबा 109 हेक्टर में से 0.24 पश्चिम कुल किता 2 की कुल रकबा 0.48 हेक्टर आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम –1(अपील संख्या 2023/31)/वादी के नाम से पृथक खाते में दर्ज कर दिया गया। उक्त निर्णय न्याय पारित सिद्धान्तो के विपरित व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय रेस्पोडेन्ट क्रम–1(अपील संख्या 2023/31)/ वादी को फायदा पहुचाने की गरज से किया गया है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट क्रम–1(अपील संख्या 2023/31)/वादी के ख.न. 1909 व ख.नं. 1910 में से कुल 0.48 हेक्टेयर आराजी पश्चिम की जो दी गई है वह मेन रोड की आराजी है जबकि रेस्पोडेन्ट क्रम–1(अपील संख्या 2023/31) का सभी खसरा नंबरो में 13/315 हिस्सा था। जिसमें से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी आनी चाहिए थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो को नजर अन्दाज करते हुए उक्त आदेश पारित कर दिया गया है जो न्याय पारित सिद्धान्तो के विपरित व त्रुटिपूर्ण होने से अपारत किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट क्रम 2 रेस्पोडेन्ट कम–1(अपील संख्या 2023/31) को आपसी सहमति मौखिक होना मानी गई जिसके सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट क्रम –1(अपील संख्या 2023/31) के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज उक्त वाद में पेश नही किया गया और न ही साक्ष्य पेश हुई उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र मौका रिपोर्ट पटवारी से मंगवाई गई जो रेस्पोडेन्ट ने पटवारी से मिलीभगत करते हुए झूठी रिपोर्ट बनवाकर न्यायालय में पेश करवाही गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुए उक्त आदेश पारित कर दिया गया है। जो न्याय के स्थापित सिद्धान्तो के विपरीत व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करते समय पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन व ज्यूडिशियल माइण्ड का प्रयोग किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया जो न्याय पारित सिद्धान्तो के विपरित व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टगण द्वारा वाद पत्र का जवाब दावा प्रस्तुत किया। जिसमें लिखा गया था कि अब्दुल हकीम लाओलाद नही थे, उन्होने अपने भाई अब्दुल हमीद के लड़के अब्दुल हनीफ को अपने जीवनकाल में ही गोद ले लिया था, अब्दुल हनीफ का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके पुत्री हीना परवीन व पत्नी शाहिन बानो मोजूद है, उक्त कृषि भूमिया अपीलान्टगण/प्रतिवादी क्रम –1 लगायत 3 के पिता अब्दुल हमीद के हक व कब्जे में आई थी। जिसकी लिखा पढ़ी हुई थी, उक्त लिखा पढ़ी में वर्णित अन्य दो सम्पत्तिया सांगोद स्थित भवन अब्दुल हलीम के एक कब्जे में है

तथा चन्द्रघंटा कोटा स्थित मकान अब्दुल हकीम के हक व अपीलान्टगण/प्रतिवादी क्रम –1 से 3 से संयुक्त खाते में अन्य ग्रामों में भी कृषि भूमिया है जिनके विभाजन का वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है जिसके समर्थन में अपीलान्टगण ने दस्तावेज वसीयतनामा रहिमन गई जो प्रदर्श डी 1 है तथा इकरारनामा प्रदर्श डी, निकाहनामा सर्टिफिक्ट प्रदर्श–डी–2. जिसका हिन्दी अनुवाद प्रदर्श डी2ए निकाहनामा प्रदर्श डी–3 ट्रास्फर सर्टिफिकेट प्रदर्श डी–4 है एवं जिसके समर्थन में गवाह अब्दुल अजीज, रामवतार भैरूलाल, कैलाशचन्द, परशुराम, अब्दुल रहमान के बयान करवाये गये। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों व गवाह तथा दस्तावेजो को नजर अन्दाज करते हुए केवल रेस्पोडेन्ट क्रम–1 लगायत 8 वादीगण को लाभ पहुचाने की गरज से उक्त निर्णय पारित किया गया है जो न्याय के स्थापित सिद्धान्तो के विपरित व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में तनकी कायम की गई उसमें तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण को सिद्ध करनी थी तथा तनकी सं 3, 4 व 5 अपीलान्टगण/प्रतिवादी क्रम –1 से 3 को सिद्ध करनी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 1 व 2 का विवेचन गलत रूप से करके रेस्पोडेन्ट क्रम–1 लगायत 8 वादीगण के पक्ष में तह की गई। जब कि वादीगण की और से केवल एक गवाह पी डब्ल्यू 1 अब्दुल खलील के बयान कराये गये। जिसमें गवाह ने जिरह में स्वीकार किया कि कनवास की जमीन के अलावा ग्राम वास्याहेडी, मायरा परवराना में भी जमीन है जो शामलाती है। और सांगोद में स्थित बैंक भवन के बारे में कथन किया कि यह बिल्डिंग हमारे कब्जे में है किराया पहले हमारे पिता जी लाते थे। अभी उसका किराया नकद मिलता है, जो छोटी भाई मेहराज लाता है जो तीनो भाई अब्दुल मुजीब, अब्दुल खलील, अब्दुल जमील व मेहराज बांट लेते है जो अब्दुल हलीम के लड़के है तथा कोटा में घंटाघर चन्द्रघंटा पर एक मकान है। जिसमें हमारे ताऊजी अब्दुल हकीम ही रहते थे व अब्दुल हकीम ने बाप बनाकर अब्दुल हनीफ की निकाह नहीं करवाई तथा कनवास स्थित विवादित कुए की जमीन के बारे में कथन किया कि कुए की जमीन अब्दुल अजीज मोहम्मद आरिफ उर्फ रईस सम्भाल रहे है और यही जुपा रहे है हमने केस करा उसके दो साल पहले से हमने कभी जमीन को नहीं जुपाया वर्ष 2013 के पूर्व कुएं को किसको जुपाया कितने में जुपाया, इसका मुझे पता नहीं है । कनवास के अलावा अन्य गाँव में जो जमीन है उसका बंटवारे का दावा इसलिए नहीं किया क्योकि उसमें कोई विवाद नही है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट/वादीगण तनकी संख्या 1 को साबित करने में असफल रहे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट/वादीगण को फायदा पहुचाने की गरज से तनकी संख्या 1 को रेस्पोडेन्ट/वादीगण के पक्ष में साबित करते हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया गया है जो न्याय पारित सिद्धान्तो के विपरित व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया जिसमें तनकी सं. 3, 4 व 5 का विवेचन करने में कानूनन गलती की गई है। जबकि उक्त तनकी साबित करने का भार अपीलान्ट पर था। जिसके समर्थन में अपीलान्ट ने जवाब दावे में उनके द्वारा किये गये कथन को साबित कर रहे है अपीलान्ट/प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भी उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे की ही पुष्टि होती है। अपीलान्ट ने अपने जवाब के

समर्थन में सत्य प्रतिलिपि वसीयत नामा प्रदर्श डी–1, निकाह नामा प्रमाण पत्र प्रदर्श डी–2 जिसका हिन्दी अनुवाद प्रदर्श डी2ए निकाह नामा प्रदर्श डी ट्रान्सफर सर्टीफिकेट प्रदर्श डी–4 पेश किये है। जब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज निकाह नामा व उसकी हिन्दी अनुवाद तथा टी.सी. का अवलोकन करने पर अब्दुल हनीफ की वल्दीयत अब्दुल हकीम अंकित की गई है जिससे अपीलान्ट/प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 द्वारा किये गये कथन को बल मिलता है तथा प्रदर्श डी इकरार नामा को भी गवाह डी डब्ल्यू–1 ने अपनी साक्ष्य से साबित किया है । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यो को नजर अन्दाज करते हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया गया जो न्याय पारित सिद्धान्तो के विपरित व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करने में जानबूझ कर त्रुटि की गई है क्योंकि रेस्पोडेन्टगण को फायदा पहुचाने की गरज से पत्रावली का अवलोकन कि बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया है जबकि अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट क्रम –1 लगायत 8 का वसीयत नामा श्रीमती रहीमन बाई ने दिनांक 01.04.1975 को कि गई थी। उसके आधार पर खनं 1679 रकबा 1.73 हेक्टेयर, खनं 1681 रकबा 1.72 हेक्टेयर पर विगत कई वर्षो से अब्दुल अजीज का कब्जा चला आ रहा है ख.नं. 1359 रकवा 3.51 हेक्टेयर, ख.नं. 1995 रकबा 0.04 हेक्टेयर पर कब्जा अब्दुल मुजीब का चला आ रहा है तथा ख.नं. 1900 रकबा 0.48 हेक्टेयर, ख.नं. 1902 रकबा 0.04 हेक्टेयर, ख.नं. 1904 रकबा 0.35 हेक्टेयर, खनं. 1906 रकबा 0.87 हेक्टेयर, ख.नं. 1907 रकबा 0.14 हेक्टेयर, ख.नं. 1908 रकबा 0.07 हेक्टेयर, ख.नं. 1909 रकबा 0.65 हेक्टेयर, ख.नं. 1910 रकबा 1.09 हेक्टेयर, ख.नं. 2240 रकबा 0.96 हेक्टर इन पर कब्जा अब्दुल अजीज व मोहम्मद आरिफ के चली आ रही है सभी अपने कब्जे की आराजी पर पारिवारिक बंटवारे के वाद से अपने अपने हिस्से की आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है यह तथ्य उक्त वाद में साबित भी हो गये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया गया। जो न्याय पारित सिद्धान्तो के विपरित व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने मौखिक बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि प्रश्नगत निर्णय से संबंधित दूसरे वाद, वाद संख्या 44/2017 की आदेशिका दिनांक 10.09.2020 से स्पष्ट है कि पत्रावली वास्ते तनकी बनाने की स्टेज पर थी। आदेशिका दिनांक 05.11.2020 के अनुसार इस वाद में इश्यूज नहीं बने है। आदेशिका दिनांक 20.11.2020 से स्पष्ट है कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी.पी.सी. स्वीकार किया गया। आदेशिका पर स्वयं धनपाल के हस्ताक्षर भी है। सी.पी.सी. की धारा 10 इस प्रकार है, "वाद का रोक दिया जाना– कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य–विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्ही पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नहीं करेगा जहाँ ऐसा वाद उसी न्यायालय में या [भारत] में किसी अन्य ऐसे न्यायालय में, जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है या [भारत] की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में, जो [केन्द्रीय सरकार] द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और वैसी ही

अधिकारिता रखता है, [उच्चतम न्यायालय] के समक्ष लम्बित है। स्पष्टीकरण–विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लम्बित होना उसी वाद–हेतुक पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से [भारत] में के न्यायालयों को प्रवारित नहीं करता।" इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी का वाद ही स्थगित हो गया था तोयह वाद चलने योग्य नहीं था तथा इस पर कोई निर्णय भी पारित नहीं किया जा सकता था। धनपाल ने भूमि मोहम्मद आरीफ के हिस्से में से खरीदी है तो जब मोहम्मद आरीफ का हिस्सा घोषित होगा उसी में से धनपाल के हक अधिकार हो सकते है। पहले पहला वाद संख्या 26/2017 निर्णित होगा तथा मोहम्मद आरीफ का हक, हिस्सा तय होने पर ही धनपाल का हक हिस्सा तय होगा। निर्णय में पेज नम्बर 7 पर वाद संख्या 44/2017 में इश्युज कहाँ से आए है? जब इस वाद में साक्ष्य ही नहीं हुई तो उनका विवेचन कैसे होगा? प्रश्नगत निर्णय मिसलीड करने वाला तथा तथ्यों को बिना ध्यान में रखे दिया गया है। जब धनपाल वाद संख्या 26/2017 में पक्षकार बना दिया तो अधीनस्थ न्यायालय में धनपाल को नया वाद 44/2017 प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता थी? अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यों एवं विधि के अनुसार नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के वाद संख्या 26/2017 के तथ्यों एवं जवाबदावे को दोहराते हुए कथन किया कि यह स्वीकृत तथ्य है कि इलाहीबक्श जी के तीन पुत्र अब्दुल हकीम, अब्दुल हलीम व अब्दुल हमीद थे। उपर्युक्त तीनों भाईयों के मध्य इकरारनामा की फॉर्म में समझौता किया गया। तीनो के मध्य घंटाघर कोटा के मकान, सांगोद की बिल्डिंग व कनवास की विवादित भूमि को लेकर एक इकरारनामा दिनांक 10.10.1990 को हुआ। इसकी तीन प्रतियाँ तीनो भाईयों के पास रहे तथा यह एक याददाश्त के तौर पर था। ये इकरारनामा अधीनस्थ न्यायालय में फोटोप्रति के रूप में पेश हुआ। आज ये ऑरिजनल डाक्यूमेंट मैने आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। यह डॉक्यूमेंट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में Ex D के रूप में संलग्न है। यह डॉक्यूमेंट अब्दुल हकीम के वारिसान के पास मिला। अब्दुल हकीम ने हब्दुल हमीद के बेटे अब्दुल हनीफ को गोद लिया था, या यह कहें कि बेटे की तरह स्वयं के पास रख लिया। प्रस्तुत इकरारनामा एक पारिवारिक सैटलमेंट की तरह है तथा इस पर तीनों भाईयों के हस्ताक्षर है। क्या दस्तावेज जैन्युइन है या फ्रॉड है? स्पष्टतः यह जैन्युइन दस्तावेज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कैला बनाम रत्नावती के प्रकरण में यह निर्धारित किया है कि ऐसे दस्तावेज आवश्यक नहीं है कि वे पंजीकृत हो। साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के आधार पर भी तीनों भाई इस समझौते से एस्टोप्ड है। आज भूमि की कीमत बढ़ने के लालच के कारण अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। वादी का कोई कब्जा विवादित भूमि में नहीं है। अब्दुल खलील का स्वयं का कथन रहा है कि कब्जा हमारा नहीं है तथा हम मुनाफे से भूमि जुताते है। वादी का कभी कोई कब्जा–काश्त प्रश्नगत भूमि पर नहीं रहा। नोटेरी एक्ट के अनुसार इसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समान अटेस्टेड किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में यह इकरारनामा प्रदर्श किया गया तो ये साक्ष्य में भी ग्राह्य है। इसे अधीनस्थ न्यायालय में नकारा नहीं गया। इसे पूरा पढ़ने से यह फैमिली सैटलमेंट ही है। इस इकरारनामे को खिलाफवर्जी नहीं किया गया। यदि यह माना जाए कि इस्लामिक

कानून में गोद संभव नहीं है तो अब्दुल हकीम की यह नियत थी कि उसने अब्दुल हनीफ को बेटे की तरह पाल लिया। अब्दुल हनीफ का निकाहनामा, जिसमें अब्दुल हनीफ के पिता का नाम अब्दुल हकीम ही है। ये दस्तावेज प्रदर्शित भी हुए। अतः अब्दुल हकीम की यह इच्छा या नियत थी कि अब्दुल हनीफ उनके बेटे ही हैं। इसलिए बेटे की तरह ही उनको रखा गया। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2021(1) डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 337, 2016 ए.आई.आर.(एस.सी.) पेज 326, 2023(3) डी.एन.जे.(राज.) पेज 1026 प्रस्तुत किये। अन्त में अपीलान्टगण की दोनों अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कामां जिला [illegible] का निर्णय व डिक्री दिनांक 19.01.2023 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया तथा अपील संख्या 2023/30 के रेस्पोण्डेन्ट क्रम -1 [illegible] व [illegible] की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया तथा अन्य कोई न्यायोचित सहायता माननीय न्यायालय अपीलान्ट के पक्ष में उचित समझे वह भी प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

9. अपील संख्या 2023/30 के रेस्पोण्डेन्ट संख्या 10 व अपील संख्या 2023/31 के रेस्पोण्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि सी.पी.सी. की धारा 10 पर अधिवक्ता अपीलांट का कथन व व्याख्या इस मामले में सही नहीं है। केवल तकनीकि आधार पर ही नहीं, आदेशिका की भाषा भी देखी जाए। अधीनस्थ न्यायालय का आदेशिका आदेश आदेशिका पर क्या है? यह महत्वपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित दोनों वादों को एक-साथ सुनना स्वीकार किया। न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2016 का उल्लेख करते हुए कथन किया कि दोनों वाद एक-साथ सुनने का कारण वाद बहुलता, समय व खर्चे आदि की बचत के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में दोनों वाद में समान पक्षकारों ने विचारण चाहा था तो अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों को एक-साथ सम्मिलित कर प्रकरण को सुना व निर्णित किया। अधिवक्ता अपीलांट का यह तर्क भी मान्य नहीं है कि वे इश्यूज वाद में कैसे बने? विचारण न्यायालय ने इश्यूज बनाए तथा इश्यूवाइज प्रकरण का अवलोकन कर निर्णय पारित किया गया। इनका यह तर्क औचित्यहीन है कि पहले आरिफ मोहम्मद का हिस्सा निर्णित होगा तथा फिर धनपाल का हिस्सा उसी अनुसार निर्णित होगा। वास्तव में धनपाल तो वाद प्रस्तुत करने से पूर्व सहखातेदार बन चुका था। हम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार बन चुके थे। अतः इनकी यह बहस ही बेबुनियाद नहीं है। जिस दिन वाद पेश हुआ उस दिन धनपाल रिकॉर्डेड सहखातेदार था। सहखातेदार होने के कारण उसने अलग वाद भी प्रस्तुत किया, जो उचित था। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों व विधि के अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की है। जहाँ मोहम्मद आरिफ काश्त कर रहा था वहाँ उस हिस्से पर स्वयं मोहम्मद आरिफ ने धनपाल को कब्जा संभलाया। Ex.P9A सहमति पत्र दिनांक 24.03.2017 इस तथ्य को साबित करता है। अतः धनपाल जहाँ बैठा है वहीं प्राथमिक डिक्री में उसको बताया गया है। जहाँ तक गोद का प्रश्न है मुस्लिम विधि में गोद की अवधारणा नहीं है। जिस तरह अधिवक्ता अपीलांट ने बेटे की तरह सिर मानने की थ्योरी प्रस्तुत की है, वह कानून में मान्य नहीं है। इस तरह सिर

मानने का कोई सिद्धान्त कानूनन हो तो अधिवक्ता अपीलांट उसे पेश करे। पहले ये गोद को साबित नहीं कर पाए तो अब ये विल के सिद्धान्त पर आ गए। परन्तु ऐसा कोई ठोस दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया। इनकी ओर से आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत दस्तावेज स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस स्तर पर कोई अतिरिक्त साक्ष्य कैसे पेश करेंगें? अधिवक्ता अपीलांट का यह तर्क बिल्कुल गलत है, हम कथित इकरारनामा या समझौते को डिसअप्रूव करते। साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 व 103 मे स्पष्ट है कि बर्डन–ऑफ–प्रूफ इन पर था। इन्होने कोई दस्तावेज पेश किया तो ये सिद्ध करेंगे। अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन कि यह दस्तावेज एक्जीविट हुआ है परन्तु एक्जीविट होने का यह अर्थ नहीं है कि वह दस्तावेज साबित माना जाएगा। अपीलांट का यह तर्क कि इस तरह के दस्तावेज के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, इनका यह तर्क भी इस वाद में मान्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कैला बना रत्नावती का न्यायिक दृ ष्टांत यहां चस्पा नहीं होता। भारतीय पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 स्पष्ट है कि इस तरह की संपत्ति के सम्बंध में जब कोई अधिकार सृजित या खत्म हो उसका पंजीकरण करवाना आवश्यक है। इन्होने इकरारनामें को मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सैटलमेंट कहा। वास्तव में एम.ओ.यू. एक डिजायर है यदि यह अंतिम हो गया तो यह मैमोरेंडम कैसे है? अतः इस तरह के दस्तावेजों का पंजीयन आवश्यक है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 8 (अपील संख्या 2023/30) ने रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 9 (अपील संख्या 2023/31) ने रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के अधिवक्ता की बहस का समर्थन किया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। नामान्तरकरण संख्या 791 दिनांक 21.04.2014 जिसके आधार पर मृतक अब्दुल हमीद के स्थान पर विरासत से उसके वारिसान का नाम दर्ज हुआ है तथा नामान्तरकरण संख्या 882 दिनांक 19.05.2015 जिसके आधार पर मृतक अब्दुल हलीम के स्थान पर विरासत से उसके वारिसान का नाम दर्ज हुआ है। अपीलांटगण उक्त दोनो नामान्तरकरण की अपील करते। अपीलांट को सभी राजस्व रिकॉर्ड की प्रारंभ से ही जानकारी थी। इस तथाकथित इकरारनामे के आधार पर ये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नामान्तरकरण को चुनौती देते अथवा वाद प्रस्तुत करते। इस तथाकथित इकरारनामें का कानून में कोई आधार नहीं है। वस्तुतः इनकी अपील का कोई ठोस आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है। अपील संख्या 2023/30 के रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व अपील संख्या 2023/31 के रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2021(2) आर.आर.टी. पेज 879, 2013(1) आर.आर.टी. पेज 513 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.01.2023 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 19.07.2016 का है जिसके अनुसार विक्रेता

मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल हमीद द्वारा क्रेता धनपाल नागर पुत्र भवानीशंकर को ग्राम कनवास तहसील कनवास की खाता संख्या 14 मे दर्ज किता 6 कुल रकबा 3.95 हैक्टेयर आराजी में निहित विक्रेता का 1/21 हिस्सा अर्थात 15/315 हिस्से में से 13/315 हिस्सा विक्रय किया जाना अंकित है। पंजीकृत विक्रय-पत्र दिनांक 24.03.2017 का है जिसके अनुसार विक्रेता मोहम्मद आरीफ पुत्र अब्दुल हमीद द्वारा क्रेता धनपाल नागर पुत्र भवनीशंकर को ग्राम कनवास तहसील सांगोद की खसरा नम्बर 1909 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1910 रकबा 1.09 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.74 हैक्टेयर में निहित विक्रेता के सम्पूर्ण हिस्से 47/315 का 3/5 हिस्सा अर्थात कुल आराजी का 141/1575 हिस्सा एवं खसरा नम्बर 2240 रकबा 0.96 हैक्टेयर में निहित विक्रेता का सम्पूर्ण हिस्सा 4/21 का 9/10 हिस्सा अर्थात कुल आराजी का 36/210 वां हिस्सा क्रय किया है। सिंचाई कर जमा रसीद की फोटोप्रतियां (नोटेरीशुदा) संलग्न है। सहमति पत्र दिनांक 24.03.2017 का है जिसके अनुसार विक्रेता मोहम्मद आरीफ द्वारा क्रेता धनपाल से विक्रय की गई भूमि की एवज में सम्पूंण रकम प्राप्त किया जाना तथा क्रेता को विक्रय की गई भूमि का कब्जा संभलाया जाना अंकित किया है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2076 ग्राम कनवास की खसरा नम्बर 1909 रकबा 0.65, खसरा नम्बर 1. 09 हैक्टेयर खातेदार के नाम के कॉलम में अब्दुल हकीम पुत्र इलाही बक्स हिस्सा 1/3 अब्दुल मुजीब अब्दुल जमील अब्दुल खलील मोहम्मद मेहराज पुत्रान अब्दुल हलीम वगै0 अंकित है। Ex-D1 रहिमन बाई द्वारा कृत वसीयतनामा की प्रमाणित प्रति है। Ex-D सत्यापित प्रतिलिपी इकरारनामा दिनांक 19.01.1990 की है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 की है जिसके अनुसार ग्राम कनवास तहसील कनवास की खाता संख्या 19 में दर्ज किता कुल 6 रकबा 7.42 हैक्टेयर खातेदार अतिकाबानो पुत्री अब्दुल हलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलअजीज पुत्र अब्दुल हमीद हिस्सा 1/21 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलखलील पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलजमील पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलमुजीब पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलहकीम पुत्र इलाहीबख्श हिस्सा 1/3 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, आमनाखातूनबानो पत्नि स्व. अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, आरिफाबानो पुत्री अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, फरीदाबानो पुत्री अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, मोह.आरीफ पुत्र अब्दुल हमीद हिस्सा 4/21 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, मोहम्मदमेहराज पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, रोशनआरा पुत्री अब्दुलहमीद हिस्सा 1/21 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, शबनमबानो पुत्री अब्दुलहमीद हिस्सा 1/21 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 की है जिसके अनुसार ग्राम कनवास तहसील कनवास की खाता संख्या 20 में दर्ज किता 4 रकबा 2.21 हैक्टेयर खातेदार अतिकाबानो पुत्री अब्दुल हलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलअजीज पुत्र अब्दुल हमीद हिस्सा 1/21 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलखलील पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान

सा.देह खातेदार, अब्दुलजमील पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलमुजीब पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलहकीम पुत्र इलाहीबख्श हिस्सा 1/3 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, आमनाखातूनबानो पत्नि स्व. अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, आरिफाबानो पुत्री अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, धनपाल पुत्र भवानीशंकर हिस्सा 13/315 जाति धाकड़ सा. बाछीहेडा हाल कनवास, फरीदाबानो पुत्री अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, मोह.आरीफ पुत्र अब्दुल हमीद हिस्सा 47/315 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, मोहम्मदमेहराज पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, रोशनआरा पुत्री अब्दुलहमीद हिस्सा 1/21 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, शबनमबानो पुत्र अब्दुलहमीद हिस्सा 1/21 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 की है जिसके अनुसार ग्राम कनवास तहसील कनवास की खाता संख्या 21 में दर्ज किता 2 रकबा 1.74 हैक्टेयर खातेदार अतिकाबानो पुत्री अब्दुल हलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलअजीज पुत्र अब्दुल हमीद हिस्सा 1/21 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलखलील पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलजमील पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलमुजीब पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलहकीम पुत्र इलाहीबख्श हिस्सा 1/3 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, आमनाखातूनबानो पत्नि स्व. अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, आरिफाबानो पुत्री अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, धनपाल पुत्र भवानीशंकर हिस्सा 206/1575 जाति धाकड़ सा. बाछीहेडा हाल कनवास खातेदार,फरीदाबानो पुत्री अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, मोह.आरीफ पुत्र अब्दुल हमीद हिस्सा 94/1575 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, मोहम्मदमेहराज पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, रोशनआरा पुत्र अब्दुलहमीद हिस्सा 1/21 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, शबनमबानो पुत्र अब्दुलहमीद हिस्सा 1/21 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 की है जिसके अनुसार ग्राम कनवास तहसील कनवास की खाता संख्या 22 में दर्ज खसरा संख्या 2240 रकबा 0.96 हैक्टेयर खातेदार अतिकाबानो पुत्री अब्दुल हलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलअजीज पुत्र अब्दुल हमीद हिस्सा 1/21 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलखलील पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलजमील पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलमुजीब पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, अब्दुलहकीम पुत्र इलाहीबख्श हिस्सा 1/3 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, आमनाखातूनबानो पत्नि स्व. अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, आरिफाबानो पुत्री अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, धनपाल नागर पुत्र भवानीशंकर हिस्सा 6/35 जाति धाकड़ सा. बाछीहेडा हाल कनवास, फरीदाबानो पुत्री

अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, मोह.आरीफ पुत्र अब्दुल हमीद हिस्सा 2/105 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, मोहम्मदमेहराज पुत्र अब्दुलहलीम हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, रोशनआरा पुत्री अब्दुलहमीद हिस्सा 1/21 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार, शबनमबानो पुत्री अब्दुलहमीद हिस्सा 1/21 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी पटवार मण्डल कनवास तहसील कनवास द्वारा जारी नकल आंशिक ट्रेस ग्राम कनवास तहसील कनवास की है जिस पर पी.डब्लु–1 दिनांक 26.08.2021 अंकित है। ExP-5 पटवारी,पटवार मण्डल कनवास तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका एवं वस्तु स्थिति रिपोर्ट दिनांक 10.06.2019 की है। ExP-8 स्टेटमेन्ट ऑफ अकाउंट है। ExD2-A दफ्तर काजी शहर, कोटा द्वारा जारी (नोटेरीशुदा) निकाह सर्टिफिकेट दिनांक 17.08.2021 का है जिसमें मुसम्मी अब्दुल हनीफ S/O अब्दुल हकीम अंकित है। ExD4 प्रधानाचार्य रा0 उ0 माध्य0 विद्यालय कनवास (कोटा) द्वारा जारी (नोटेरीशुदा) टी.सी. अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल हकीम की है। ExD2 विवाह सम्बंधी उर्दु भाषा में दस्तावेज है। ExD3 निकाहनामा अज सरिश्ता कजात कोटा(राज.) काजी शहर काजी अनवर अहमद द्वारा जारी दिनांक 16.02.1990 का है जिसमें दुल्हे का नाम अब्दुल हनीफ व दुल्हन का नाम शाहीन बानो अंकित है। फोटोप्रति मौका रिपोर्ट ग्राम कनवास दिनांक 24.01.2023 की है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30.01.2023 का है जिस पर पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार के हस्ताक्षर अंकित है।ExP-2 नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 की है जिसके अनुसार ग्राम कनवास तहसील कनवास की किता 13 रकबा 12.33 हैक्टेयर भूमि खातेदार अब्दुलहकीम पुत्र इलाहीबख्श हिस्सा 1/3, अब्दुलजमील अब्दुलखलील मोहम्मदमेहराज पुत्रान अब्दुलहलीम अतिकाबानो फरीदाबानो आरिफाबानो पुत्रियां अब्दुलहलीम आमनाखातून बानो पत्नि स्व. अब्दुल हलीम हि.1/3 हि.बरा. अब्दुलअजीज मोह.आरीफ पुत्रान, रोशनआरा शबनमबानो तबस्सुमआरा तरन्नुमआरा पुत्रियां अब्दुल हमीद हि.6/21 हि.ब. हीनापरवीन पुत्री शाहीनबानो पत्नि स्व. अब्दुलहनीफ हि. 1/21 हि.बरा. कोम मुसलमान सा.देह खातेदार रहन CBI शाखा आंवा हि.मोहम्मद आरीफ रोशनआरा तबस्सुमआरा तरन्नुमआरा पर रहन CBI आंवा हि. मोहम्मद मेहराज का नामा.नं. 791,802,882,909 अंकित है तथा इसी जमाबंदी के अंतरण के कॉलम में नामा. सं0 1007 दिनांक 21.10.2016, नामा.सं0 1007 दिनांक 21.10.2016, नामा.सं0 1023 दिनांक 08.03.2017, नामा.सं0 1036 दिनांक 20.04.2017, नामा.सं0 1039 दिनांक 24.05.2017, नामा.सं0 1032 दिनांक 20.04.2017 का विवरण अंकित है। ExP-1 नकल जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 की है जिसके अनुसार ग्राम कनवास तहसील कनवास की किता 13 रकबा 12.33 हैक्टेयर भूमि खातेदार अब्दुलहकीम अब्दुलहलीम अब्दुल हमीद वल्द इलाही बख्श कोम मुसलमान सा. देह हि. बरा. अंकित है तथा इसी जमाबंदी के अंतरण के कॉलम में नामा. सं0 791 दिनांक 21.04.2014, नामा. सं0 802 दिनांक 17.06.2014, नामा. सं0 882 दिनांक 19.05.2015, नामा. सं0 909 दिनांक 29.07.2015 नामा. सं0 1007 दिनांक 21.10.2016, नामा.सं0 1007 दिनांक 21.10.2016, नामा.सं0 1023 दिनांक 08.03.2017, नामा.सं0 1032 दिनांक 20.04.2017 नामा. सं0 1036 दिनांक 20.04.2017, का विवरण अंकित है। ExP3A विक्रय विलेख दिनांक 19.

07.2016 एवं ExP4A विक्रय विलेख दिनांक 24.03.2017 का है। ExP6A सिंचाई कर रसीद, ExP7A रसीद, ExP9A सहमति पत्र दिनांक 24.03.2017 का है। पी.डब्ल्यु–1 साक्ष्य वादी शपथ–पत्र अब्दुल खलील आत्मज अब्दुल हलीम का है जिसके साथ वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की जिरह व बयान संलग्न है। साक्ष्य शपथ–पत्र पी.डब्ल्यु–1 धनपाल पुत्र भवानीशंकर का है जिसके साथ वादी के अधिवक्ता की जिरह व बयान संलग्न है। शपथ–पत्र बयान अब्दुल रहमान पुत्र मोहम्मद खां का है। शपथ–पत्र बयान परसुराम पुत्र मदनलाल का है। शपथ–पत्र बयान कैलाशचन्द पुत्र नाथूलाल का है। शपथ–पत्र बयान भैरूलाल पुत्र केशरीलाल का है। शपथ–पत्र बयान रामावतार पुत्र राधाकिशन का है। उक्त सभी शपथ–पत्रों पर RO & AC अंकित है तथा इन पर उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा(राज0) की मुहर व हस्ताक्षर अंकित है। प्रमाणित प्रतिलिपी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 19.03.2020 की है। अधिवक्ता अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 44/2017 पर कथन करते हुए मुख्यतः पहला तर्क दिया कि वाद संख्या 44/2017 में धारा 10 सी.पी.सी. स्वीकार होने से यह वाद वहीं स्थगित(स्टे) हो गया था तथा इसमें आगे तनकीवार विवेचन भी विधि अनुसार गलत है। दूसरे प्रमुख तर्क में यह कथन किया कि पहले आरिफ मोहम्मद का हक हिस्सा तय होकर मिलेगा उसी में आगे धनपाल को हक हिस्सा मिलेगा। धनपाल वाद संख्या 26/2017 में पक्षकार था तो नवीन वाद करने की क्या आवश्यकता थी? इस सम्बंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रवाली वाद संख्या 44/2017 में स्वयं अपीलांट प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. संलग्न है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया, इस प्रार्थना–पत्र में स्वयं प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 1 व 2(अपीलांट) ने बिन्दु संख्या 2 में अंकित किया है कि, " उक्त प्रकरण में सुनवाई स्थगित किया जाना आवश्यक है, विकल्प में निवेदन है कि उक्त प्रकरण को पूर्व से लम्बित वाद संख्या 26/2017 में कंसोलिडेट करके भी प्रकरण में सुनवाई की जा सकती है।" अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका(वाद सं. 44/2017) दिनांक 26.11.2020 पर भी अंकित है कि, "अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 10 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा उक्त पत्रावली को पत्रावली संख्या 26/2017 उनवान अब्दुल मुजीब बनाम अजीज के साथ हमफीता किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली प्रकरण संख्या 26/2017 के साथ हमफीता की जाती है।" इसी प्रकार दूसरे वाद वाद संख्या 26/2017 की आदेशिका दिनांक 26.11.2020 पर अंकित है कि, "पत्रावली पेश हुई, पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप। चूंकि पत्रावली प्रकरण स0 44/17 बउनवान धनपाल बनाम अ.अजीज को इस वाद के साथ हमफीता किये जाने के आदेश प्रदान किये गये जो इस वाद के साथ हमफीता की जाती है।" अतः उपर्युक्त दोनो वादों की अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं एवं प्रार्थना–पत्र में स्वयं प्रार्थी के कथनों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में दोनो लम्बित वादों 44/2017 एवं 26/2017 की पत्रावलियों को हमफीता (कंसोलिडेट) किया गया था न कि वाद संख्या 44/2017 उनवान धनपाल

बनाम अब्दुल अजीज को स्टे किया गया था। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में भी ऐसी कोई आपत्ति प्रकट नहीं की , कि वाद संख्या 44/2017 चूंकि स्टे हो चुका है अतः उस पर सुनवाई नहीं की जाए। अतः हम अधिवक्ता अपीलांट के इस तर्क से सहमत नहीं है कि वाद संख्या 44/2017 स्थगित हो जाने से उस पर आगे की कार्यवाही व निर्णय कानूनन सही नहीं है। वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय की दोनो वादों की आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की मंशा व आदेश दोनो लम्बित वादों को हमफीता करने की थी। अधीनस्थ न्यायालय में चूंकि वाद संख्या 26/2017 लम्बित था तथ उसमें भी विषयवस्तु समान थी तथा पक्षकार भी समान थे, अतः वाद संख्या 44/2017 को वाद संख्या 26/2017 के साथ हमफीता कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.01.2023 में भी दोनो वादो को वाद संख्या 26/2017 व वाद संख्या 44/2017 का विवरण दिया है तथा वाद कमांक 44/2017 को वाद कमांक 26/2017 के साथ हमफीता करना अंकित किया है। अतः हम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत धारा 10 सी.पी.सी. के तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि वस्तुतः प्रार्थना-पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नें वाद संख्या 44/2017 को वाद संख्या 26/2017 के साथ हमफीता (समेकित) किया गया था। जहां वाद संख्या 44/2017 में रचित तनकीयात का प्रश्न है तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इस वाद में अलग से तनकीयाँ विरचित कर एक पृष्ठ तो संलग्न है परन्तु उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। वस्तुत ध्यान से देखा जाए तो निर्णय में वाद संख्या 44/2017 में विरचित प्रथम तनकी तथा वाद संख्या 26/2017 में विरचित तनकी संख्या 6 समान ही है तथा वाद संख्या 44/2017 का मुख्य विवाद बिन्दु भी यही है। दोनो वाद हमफीता होने के पश्चात् अपीलांट सहित पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। अतः अपील में इस स्टेज पर अपीलांट की इस प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट का तर्क रहा है कि अपील संख्या 2023/30 में रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व अपील संख्या 2023/31 मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 धनपाल पुत्र श्री भवानीशंकर का हक हिस्सा मोहम्मद आरीफ पुत्र अब्दुल हमीद के हक हिस्सा निर्धारित होने के बाद मोहम्मद आरीफ के हक हिस्से में से निर्धारित होगा। परन्तु इस सम्बंध में तथ्य यह है कि जिस दिन वाद संख्या 26/2017 प्रस्तुत किया गया उस वाद में धनपाल पुत्र भवानीशंकर को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में संयोजित किया गया था। प्रतिवादी संख्या 5 धनपाल मोहम्मद आरीफ से वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही पंजीकृत विकय-पत्र दिनांक 19.07.2016 व दिनांक 24.03.2017 से प्रश्नगत भूमि में से भूमि कय कर चुका था। अतः हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत है कि धनपाल पुत्र भवानीशंकर वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही अन्य पक्षकारों के साथ विवादित भूमि में सहखातेदार बन चुका था। चूंकि हमारे मत में धनपाल पुत्र भवानीशंकर सहखातेदार बन चुका था, अतःउसे मोहम्मद आरीफ सहित अन्य सभी सहखातेदारान के समान प्रश्नगत भूमि में हक अधिकार उत्पन्न हो चुके थे तथा वह प्रश्नगत भूमि में नियमानुसार विभाजन करवाने हेतु विधिक रूप से सक्षम था। अतः हम अधिवक्ता अपीलांट के इस तर्क से सहमत नहीं है कि पहले मोहम्मद आरीफ विकेता का

हक हिस्सा तय होगा तथा इसके पश्चात् धनपाल प्रतिवादी संख्या 5 का हक–हिस्सा तय होगा। इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 26/2017 में तनकी संख्या 6 विरचित की जो इस प्रकार है, "आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1909 रकबा 0.65 हैक्टेयर में से 0.24 हैक्टेयर पश्चिमी, खसरा नम्बर 1910 रकबा 1.09 हैक्टेयर में से 0.24 हैक्टेयर पश्चिमी कुल 2 किता की रकबा 0.48 हैक्टेयर आराजी मौके पर आपसी सहमति विभाजन अनुसार प्रतिवादी धनपाल पृथक से काश्त कर रहा है जिसका खाता विभाजन करवाने का प्रतिवादी धनपाल अधिकारी है।" तथा वाद संख्या 44/2017 में तनकी संख्या 1 अंकित की जो इस प्रकार है, "आया वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1909 रकबा 0.65 हैक्टेयर में से 0.24 हैक्टेयर पश्चिमी, खसरा नम्बर 1910 रकबा 1.09 में से 0.24 हैक्टेयर पश्चिमी कुल 2 किता की रकबा 0.48 हैक्टेयर आराजी मौके पर आपसी सहमति अनुसार वादी पृथक से काश्त कर रहा है जिसका खाता विभजान करवाने का वादी अधिकारी है।" इस तनकी को अधीनस्थ न्यायालय ने भली भांति विवेचित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने गवाह खलील के बयानों, मौका रिपोर्ट दिनांक 10.05.2019 प्रदर्श डी–5 व मोहम्मद आरीफ व केता धनपाल के मध्य आलेखित सहमति पत्र दिनांक 24.03.2017 आदि के आधार पर यह तनकी प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में निर्णित की है। हमने भी पुनः प्रदर्शों व बयानों का अवलोकन किया। सहमति–पत्र दिनांक 24.03.2017, फोटोप्रति मौका एवं वस्तु स्थिति रिपोर्ट दिनांक 10.05.2019, सहखातेदार के बयान आदि के आधार पर निष्कर्ष पारित किया गया है। न्यायालय हाजा के समक्ष भी अपीलांटगण के सहखातेदारान रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता द्वारा इस तनकी का कोई विरोध प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में तथ्यों एवं विधि का विवेचन करते हुए तनकी संख्या 6 में निष्कर्ष पारित किया है जिससे हम सहमत है। अधिवक्ता अपीलांट ने इकरारनामा दिनांक 10.10.1990 की मूल प्रति प्रस्तुत की तथा कथन किया कि यह पारिवारिक बंदोबस्त(फेमिली सैटलमेंट) की तरह है तथा तीनों भाईयों को इसके कथनों से एस्टोप्ड बताया। इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 26/2017 में तनकी संख्या 4 विरचित की गई जो इस प्रकार है, "आया पारिवारिक विभाजन में सांगोद स्थित भवन अब्दुल हलीम के हक व कब्जे में, चन्द्रघटा कोटा स्थित मकान अब्दुल हकीम के हक व कब्जे में तथा ग्राम कनवास के खसरा नम्बर 1923/3, 1924, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 की कुल 23 बीघा 4 बिस्वा आराजी अब्दुल हमीद व कब्जे में आई थी।" इसे साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का था। अधीनस्थ न्यायालय में इस इकरारनामा दिनांक 19.01.1990 की फोटोप्रति Ex-D प्रस्तुत की गई। हमारे समक्ष मूलप्रति प्रस्तुत की गई है। हमने पुनः हस्तगत वाद के सन्दर्भ में इस इकरारनामे का अवलोकन किया। इस इकरारनामा पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। यह इकरारनामा किसके समक्ष प्रमाणित हुआ, यह भी स्पष्ट नहीं है। जो अचल सम्पत्तियाँ इसमें अंकित है, उसके अनुसार तो इस दस्तावेज को पंजीकृत करवाया जाना चाहिए था। अपील की स्टेज पर आकर इस इकरारनामा को पारिवारिक बंदोबस्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस इकरारनामे को अधीनस्थ न्यायालय में साबित करने का भार अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 4

पर था। परन्तु हमारे मत में इस दस्तावेज एवं इसके कथनों को प्रतिवादीगण अपीलांटगण साबित करने में असफल रहे तथा हमारे समक्ष ऐसा कोई नवीन साक्ष्य अथवा दस्तावेज नहीं है जिससे इस दस्तावेज के कथन साबित होते हो। यह दस्तावेज सन् 1990 का है तथा इसके बाद तो विवादित कृषि भूमि में कई नामान्तरकरण खुले है। जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय के विवेचन में विवेचित किया गया है, जब अपीलांट के पास यह इकरारनामा या उसके कथनानुसार पारिवारिक बंदोबस्त था तो इस दस्तावेज में अंकित तीनों भाईयों की मृत्यु पर इसे कभी तो राजस्य कार्मिकों अथवा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते। स्वयं अपीलांट के पक्ष में जब नामान्तरकरण दर्ज हुआ तो इस दस्तावेज के आधार पर उन्हे कार्यवाही करनी चाहिए थी। अतः इस सम्बंध में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 में पारित निष्कर्ष से सहमत हैं हम अधिवक्ता अपीलांट के इस तर्क से सहमत नहीं है कि इस इकरारनामा दिनांक 10.10.1990 को डिस्अप्रूव करते क्योंकि इस दस्तावेज को लेकर विरचित तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 पर था। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 इस तनकी को साबित करने में असफल रहे। जहां तक अब्दुल हकीम द्वारा अपने भाई के पुत्र अब्दुल हनीफ को गोद लेने का प्रश्न है तो इस सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 3 विरचित की जो इस प्रकार है, "आया वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार अब्दुल हकीम लाऔलाद नहीं थे, उन्होने अपने जीवनकाल में अपने भाई अब्दुल हमीद के पुत्र अब्दुल हनीफ को गोद ले लिया था, जिसकी पुत्री हीना परवीन व बेवा शाहीन बानो मौजूद है।" इसे साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 पर था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों को विवेचित करते हुए प्रश्नगत गोदनामे को साबित व प्रमाणित नहीं माना। हमारे समक्ष स्वयं अधिवक्ता अपीलांट ने भी माना है कि मुस्लिम विधि में यह गोदनामा विधिक रूप से मान्य नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष कथन है कि अब्दुल हकीम ने अब्दुल हनीफ को बेटे की तरह रखा तथा निकाहनामा व स्कूल के दस्तावेज का हवाला देते हुए आगे कथन किया कि इससे साबित होता है कि यह अब्दुल हकीम की विल तो थी ही उसकी सम्पत्ति वारिस के रूप में उसे लिखे। हमारे मत में अपील की स्टेज पर गोदनामा को विल साबित करना विधिअनुसार सही नहीं है। अतः हम अधिवक्ता अपीलांट ने इस कथन से सहमत नहीं है कि यदि गोदनामा नहीं तो यह अब्दुल हनीफ की विल की तरह माना जाए। इस तरह का कोई कानून भी अधिवक्ता अपीलांट ने हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। अतः इस सम्बंध में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 3 में व तनकी संख्या 1 में पारित निष्कर्षो से सहमत है। वाद संख्या 26/2017 में विरचित तनकी संख्या 1 इस प्रकार है, "आया वादीगण ग्राम कनवास की वादग्रस्त 13.33 हैक्टेयर आराजी के 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के व अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन करवाकर पृथक खाता अंकित करवाने व मुताबिक विभाजन जुदागाना कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।" इस सम्बंध में हमने मुख्यतः राजस्व रिकॉर्ड व सम्बंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया। स्वयं अपीलांटगण ने उक्त दस्तावेजों में अंकित उनके पूर्वजों की मृत्यु पर दर्ज नामान्तरकरण को चैलेंज नहीं किया। इससे प्रतीत होता है कि अपीलांटगण को राजस्व रिकॉर्ड का संज्ञान था। वादीगण

ने इस तनकी को अपने पक्ष में साबित किया। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 में किए गए विवेचन एवं पारित निष्कर्ष से सहमत है। इसी प्रकार वाद संख्या 26/2017 में विरचित तनकी संख्या 6 के सम्बंध मे पूर्व में विवेचन किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 26/2017 में कुल 6 तनकीयाँ विरचित की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर साक्ष्यों, तथ्यों, गवाहों, दस्तावेजों आदि का विवेचन करते हुए निष्कर्ष पारीत किया है जिससे हम सहमत है। इसी प्रकार अपने निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 44/2017 मे चार तनकीयाँ विरचित करना अंकित किया है। इन तनकियों के मुख्य विवाद बिन्दु पूर्व वाद संख्या 26/2017 की तनकीयों में भी समाहित है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत तथ्य एवं परिस्थितियाँ भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते। हम अधीनस्थ न्यायालय के तनकीवार विवेचन व उसमें पारित निष्कर्ष से सहमत है, सभी बिन्दुओं को तथा तनकियों को यहाँ पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है तथा तनकीवार निर्णय पुनः दोहराने का औचित्य भी नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.01.2023 विधि सम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास के प्रकरण संख्या 26/2017 व 44/2017 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 19.01.2023 यथावत रखा जाता है। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 05.09.2023 को उपस्थित रहे।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 14.08.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिकी

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2023/30

1. अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।
2. मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।
3. शबनम बानो पुत्री अब्दुल हमीद पत्नी इदरिस भाई जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. अब्दुल मुजीब पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
2. अब्दुल जमील पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
3. अब्दुल खलील पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
4. मोहम्मद मेहराज पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
5. अतिका बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज.)।
6. फरीदा बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी इस्लामतुल्ला खान जाति मुसलमान निवासी छावनी कोटा(राज.)।
7. आरीफा बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी मुनताल बुकहक जाति मुसलमान निवासी पाटनपोल कोटा(राज.)।
8. आमना खातून पत्नी अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।(नाम तर्क किया गया)
9. रोशन आरा पुत्री अब्दुल हमीद पत्नी अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
10. धनपाल पुत्र भवानीशंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम बाछी हेडा तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।

11. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।

—रेस्पोन्डेन्टगण

वाद संख्याः 26/2017

1. अब्दुल मुजीब पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
2. अब्दुल जमील पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
3. अब्दुल खलील पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
4. मोहम्मद मेहराज पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
5. अतिका बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज.)।
6. फरीदा बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी इस्लामतुल्ला खान जाति मुसलमान निवासी छावनी कोटा(राज.)।
7. आरीफा बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी मुनताल बुकहक जाति मुसलमान निवासी पाटनपोल कोटा(राज.)।
8. आमना खातून पत्नी अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।(नाम तर्क किया गया)

—वादीगण

बनाम

1. अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।
2. मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।
3. रोशन आरा पुत्री अब्दुल हमीद पत्नी अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
4. शबनम बानो पुत्री अब्दुल हमीद पत्नी इदरिस भाई जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।
5. धनपाल पुत्र भवानीशंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम बाछी हेडा तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
6. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।

—प्रतिवादीगण

अपील संख्या : 2023/31

1. अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।
2. मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।
3. शबनम बानो पुत्री अब्दुल हमीद पत्नी इदरिस भाई जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांटगण

बनाम

1. धनपाल पुत्र भवानीशंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम बाछी हेडा तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
2. अब्दुल मुजीब पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
3. अब्दुल जमील पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
4. अब्दुल खलील पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
5. मोहम्मद मेहराज पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
6. अतिका बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज.)।
7. फरीदा बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी इस्लामतुल्ला खान जाति मुसलमान निवासी छावनी कोटा(राज.)।
8. आरीफा बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी मुनताल बुकहक जाति मुसलमान निवासी पाटनपोल कोटा(राज.)।
9. आमना खातून पत्नी अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।(नाम तर्क किया गया)
10. रोशन आरा पुत्री अब्दुल हमीद पत्नी अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
11. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।

–रेस्पोंडेन्टगण

वाद संख्याः 44/2017

धनपाल पुत्र भवानीशंकर जाति धाकड़ निवासी ग्राम बाछी हेडा तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।

– वादी

बनाम

1. अब्दुल अजीज पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।
2. मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।
3. रोशन आरा पुत्री अब्दुल हमीद पत्नी अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
4. शबनम बानो पुत्री अब्दुल हमीद पत्नी इदरिस भाई जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज0)।
5. अब्दुल मुजीब पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
6. अब्दुल जमील पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
7. अब्दुल खलील पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
8. मोहम्मद मेहराज पुत्र अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।
9. अतिका बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज.)।
10. फरीदा बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी इस्लामतुल्ला खान जाति मुसलमान निवासी छावनी कोटा(राज.)।
11. आरीफा बानो पुत्री अब्दुल हलीम पत्नी मुनताल बुकहक जाति मुसलमान निवासी पाटनपोल कोटा(राज.)।
12. आमना खातून पत्नी अब्दुल हलीम जाति मुसलमान निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।(नाम तर्क किया गया)
13. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास जिला कोटा(राज.)।

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद सख्या 26/2017 एवं वाद संख्या 44/2017 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास, जिला कोटा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.01.2023 के विरूद्ध उक्त अपीलें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित **प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 19.01.2023** त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपीलें स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपीलें तारीख 14.08.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से दोनो अपीलों में विद्वान् अभिभाषक श्री सम्पूर्णानन्द राय, अपील संख्या 2023/30 में रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व अपील संख्या 2023/31 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल , अपील संख्या 2023/30 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 की ओर से एवं अपील संख्या 2023/31 में रेस्पोडेन्ट संख्या 3

से 9 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री उत्पल शर्मा, उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की उक्त दोनों अपीले खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.01.2023 बहाल रखे जाते है।

3. इन अपीलों के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिक्री आज तारीख 14.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा